न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या –46/2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल रहमान 2. अब्दुल हनान पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान, निवासी नदी चौक, मकराना 3. मुस्तफा उर्फ मुसा के कायम मुकामान 3/1. अब्दुल हमीद पुत्र मुस्तफा उर्फ मुसा 3/2. मोहम्मद सलीम पुत्र मुस्तफा उर्फ मुसा 3/3. हफीजन पुत्री मुस्तफा 3/4. सलमा पुत्री मुस्तफा उर्फ मुसा पत्नी ओबेदुला उर्फ नन्जु 3/5. मेम पुत्री मुस्तफा उर्फ मुसा पत्नी जाबिर सफी सभी जाति गेसावत निवासीगण मस्जिद एहले हदीश के पास मकराना तहसील मकराना, जिला नागौर	बनाम	1. खलील अहमद पुत्र मोहम्मद हारुन 2. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद हारुन 3. रिजवान पुत्र मोहम्मद रफीक 4. सोहेल पुत्र मोहम्मद रफीक 5. एजाज अली पुत्र मोहम्मद रफीक अप्रार्थीगण संख्या 3,4,5 नाबालिग जरिये माता बाईसा बेवा रफीक सभी जाति गैसावत निवासी पीर की दरगाह रोड़ मकराना पुलिस थाना मकराना जिला नागौर 6. शक्तिसिंह भाटी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की और से वकील श्री श्यामकुमार व्यास एवं अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आर्चीणा।

आदेश दिनांक – 15-11-2018

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 411 सीआर.पी.सी. के अन्तर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में मुकदमा नम्बर 1/12 सरकार बनाम मुस्तफा उर्फ मुसा वगैरह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के विरुद्व थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर ने धारा 145 सीआरपीसी का परिवाद अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में दिनांक 15.10.2012 को पेश किया जिसका मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिदियाद की सरहद में जमीन खसरा नंबर 156 स्थित है उक्त जमीन को खनिज विभाग ने सरेण्डर करके गैर सायलान पार्टी नं. 1 व 2 के मार्बल की खान संख्या 240 व 240X क्योरी लाईसेंस पास करके खनन करने लगे तत्पश्चात गैर सायलान पार्टी संख्या 1 व 2 के आपस में विवाद होने से नुक्शे अमन का अन्देशा होने पर व आपसी दोनो पक्षकारों के बीच फौज़दारी मुकदमे दर्ज होने से थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर द्वारा दोनों पक्षकारों को गैर सायल पार्टी संख्या 1 व 2 बनाकर धारा 145 व 146 सीआरपीसी का परिवाद अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में पेश किया जो परिवाद दर्ज कर विवादित खान संख्या 240 X व 240 को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया तथा दोनों पक्षकारो से जवाब तलब किया

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

गया। गेर सायलान पार्टी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब पेश करने पर गेर सायलान पार्टी नं. 1 से शहादत पेश करने का आदेश दिया। इसी बीच गेर सायल पार्टी संख्या 2 ने कुर्की आदेश के खिलाफ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश परबतसर की अदालत में निगरानी पेश कर दी जो बाद सुनवाई खारिज कर दी गई, जिसके विरुद्व गेर सायल पार्टी नं. 2 ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में धारा 482 सीआरपीसी के तहत पिटिशन पेश की जो बाद सुनवाई खारिज कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पिटिशन विचाराधीन होने से उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई, पिटिशन खारिज होने के बाद प्रार्थी सं. 1 की शहादत शुरु हुई और काफी समय तक प्रार्थी सं. 1 की शहादत नहीं ली गई।

अप्रार्थी संख्या 6 उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर शक्तिसिंह भाटी की पोस्टिंग हुई जिन्होने अप्रार्थी पार्टी संख्या 2 से मिलावट कर अप्रार्थी पार्टी संख्या 1 को नुकशान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थीगण को शक्तिसिंह भाटी उपखण्ड मजिस्ट्रट परबतसर से इस प्रकरण में न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं रही है।

पार्टी नं. 2 ने खान माफियो से गुप्त खान का एग्रीमेंट कर रखा है जिनकी पहुंच एस.डी.एम. परबतसर के पास होई हुई है ये लोग चेम्बर में बैठ कर ठहाके मारते रहते है स्वयं पार्टी नं. 2 के खलील अहमद व उसका लड़का जमील उर्फ मुल्ला एवं शकील अहमद और मोहम्मद युसुफ हमें सुनाते रहते है कि एस.डी.एम. शक्तिसिंह भाटी जी हमारे हैं आपके खिलाफ आदेश करवा कर रहेगे।

माफिया वर्ग के लोग एवं पार्टी नं. 2 के उक्त व्यक्तियों में से एस.डी.एम के साथ रात को माफिया के फार्म हाउस पर पार्टीयां करते है साथ में खाते पीते है और यह उनकी दिनचर्या का एक भाग बन चुका है। अप्रार्थी सं. 1 के मो. अली व अप्रार्थी संख्या 1 अब्दुल हनान के पुत्र अब्दुल मनान के सामने अप्रार्थी पार्टी नं0–2 ने एलानिया कहा कि फैसला हमारे पक्ष में करा लेगे पूरी बात हो गयी है फैसला तैयार करवा लिया है सिर्फ हमारे पक्ष में सुनाना है।

हमें समय पर नकले आदेशिकाओ की एवं हमारे द्वारा पेश लिखित बहस व दरख्वास्तो की नकले इलेक्शन का बहाना बनाकर नही दे रहे है जिससे हमें अग्रिम कार्यवाहीयों में कष्ट होता है। पार्टी नं. 2 यहां तक धमकियां दे रहे है कि धारा 145, 146 सीआरपीसी का आदेश हमारे पक्ष में माननीय पीठासीन अधिकारीजी ने कर रखा है सिर्फ उस पर उनके हस्ताक्षर होकर आदेश सुनाना ही बाकी है। पार्टी नं. 1 व पार्टी नं. 2 के गवाह हो चुके है तथा बहस भी लिखित में दे चुके है जिसका जवाब भी पार्टी नं. 2 ने पेश कर दिया है अब केवल आदेश ही बाकी है।

एसडीएम परबतसर के आचरण को देखते हुए तथा माफियो व पार्टी नं. 2 द्वारा दी जा रही धमकियो के मध्य नजर माननीय एसडीएम साहब परबतसर से हमें न्याय मिलने की बिल्कुल आशा नहीं है, क्योंकि मौखिक बहस भी उन्होने सुनने को इलेक्शन का बहाना बनाकर इंकार किया है मजबूरन हमने लिखित बहस दिनांक 24.10.2018 को पेश की है, यद्वपि पार्टी नं. 2 की मौखिक बहस भी सुनी और उन से भी लिखित में जवाब बहस दिनांक 02.11.2018 को मुकर्रर है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को हमेशा अदालत के बाहर धमिकियां देते रहते है कि प्रकरण में फैसला हमारे पक्ष में करवा लेंगे। इस प्रकार वर्तमान पीठासीन अधिकारी से हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थीगण ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में विचाराधीन उक्त प्रकरण संख्या 1/12 की पत्रावली अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निर्णय करने हेतु मुन्तकिल का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने अपनी मौखिक बहस में वकील प्रार्थीगण की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दो बार इसी न्यायालय में इसी प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जो निराधार तथ्यों पर आधारित होने से इसी न्यायालय द्वारा खारिज किये जा चुके है। प्रार्थीगण द्वारा पुनः यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निराधार एंव झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण को जानबूझ कर लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। माफिया वर्ग के लोग एवं पार्टी नं. 2 के उक्त व्यक्तियों में से एस.डी.एम के साथ रात को माफिया के फार्म हाउस पर पार्टीयां करते है साथ

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

में खाते पीते है को लेकर वकील प्रार्थी ने जो कथन किया है वह पूर्णतया झूठा एवं निराधार है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने एस.डी.एम. के साथ किस–किस दिनांक को तथा किस स्थान पर पार्टी की का कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए भी प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकार से किये गये कथन के कोई मायने नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को हमेशा अदालत के बाहर धमकियां देने कि प्रकरण में फैसला हमारे पक्ष में करवा लेंगे, प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णतया निराधार है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है, प्रार्थीगण ने यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस किस दिनांक को किस–किस अप्रार्थीगण द्वारा किन किन व्यक्तियों के सामने उक्तानुसार धमकी दी गई है, एवं न ही प्रार्थीगण ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसलिए भी प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में विधि अनुसार प्रकिया की निष्पक्ष रूप से पालन करते हुऐ कार्यवाही की जा रही है, प्रार्थीगण जानबूझ कर उक्त प्रकरण को लम्बित रखना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पूर्णतया कपोल कल्पित एवं मिथ्या होने का कथन करते हुऐ वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी 2006–07(supp.) पेज नं. 130 एवं आर.आर.टी. 2007(1) पेज नं. 107 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

राजपैरोकार कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य काल्पनिक, मिथ्या एवं आधारहीन होने का कथन करते हुऐ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर से हस्तगत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के संबंध में पैरावाईज टिप्पणी चाही गई, जिसके सन्दर्भ में उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर ने अपनी पैरावाईज टिप्पणी में अवगत कराया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विरुद्व थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर ने धारा 145 सीआरपीसी का एक परिवाद पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 1/2012 सरकार बनाम मुस्तफा वगैराह विचाराधीन है, जिसमें दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य पूर्ण की जाकर बहस सुनी जा चुकी है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी भी पक्ष से कोई व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं है। अधोहस्ताक्षरकर्ता का पार्टी संख्या 1 व 2 के साथ कोई सम्पर्क नहीं है जिससे उनके साथ फार्म हाउस पर जाना व पार्टी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी को समय–समय पर नकलें उपलब्ध करवाई जा रही है। बिन्दू संख्या 3(4) उक्त पैरा बिना किसी साक्ष्य के मनगढत अंकित किया है। पार्टी संख्या 2 की मौखिक बहस दोनो पक्षों की उपस्थिति में सुनी गई थी जिसकी पुष्टि इससे होती है कि पार्टी संख्या 1 ने बाद बहस प्रार्थना पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये एवं उन पर दोनो पक्षों को सुना गया है। दोनो ही पक्ष प्रकरण को अनवाश्यक लम्बा करना चाहते है जबकि प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किये जाने के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय के आदेश है। चुनाव कार्य की व्यस्तता के कारण एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में पार्टी संख्या 1 को मौखिक बहस हेतु आगामी तारीख पेशी दी जा रही थी मगर पार्टी संख्या 1 ने मौखिक बहस नहीं कर केवल लिखित बहस प्रस्तुत की है जिसे शामिल पत्रावली किया गया है, तथा उसका जवाब पार्टी संख्या 2 के द्वारा पेश किया गया है जिसे भी शामिल पत्रावली कर लिया गया है। इसके अलावा अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय से प्राप्त निर्देशों की पालना में एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में नजदीक–नजदीक पेशी दी जाकर दोनो पक्षों सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई की जा रही है तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता का किसी भी पक्ष से किसी प्रकार से कोई सम्पर्क नहीं है तथा बिना किसी दबाव के कार्यवाही की जा रही है एवं ना ही कोई लोभ प्रलोभन में कोई कार्यवाही की जा रही है, फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय को मुन्तकिल करते है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अधोपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 1/12 बअनवान सरकार बनाम मुस्तफा उर्फ मुसा वगैरह की पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई बाबत अंतरित करने हेतु बार–वार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा पुनः उक्त मुकदमा नम्बर 1/12 बअनवान सरकार बनाम मुस्तफा उर्फ मुसा वगैरह में उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने का कथन करते हुऐ उक्त मुकदमा नम्बर 1/12 की पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई बाबत अंतरित करने की प्रार्थना के साथ मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर ने अपनी टिप्पणी में उक्त प्रकरण संख्या 1/12 को दोनो ही पक्ष अनावश्यक लम्बा करना चाहते है, जबकि प्रकरण शीघ्र निस्तारण किए जाने के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय का आदेश होने तथा उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय को मुन्तकिल करने पर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में उक्त प्रकरण वर्ष 2012 से सुनवाई में चल रहा है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने के लेकर उज्र लिया है। सामान्यतः किसी भी विवाद का व्यक्तिगत प्रयासों से निवारण नहीं होने पर व्यथित व्यक्ति द्वारा अंतिम विकल्प के रूप में न्याय पालिका पर विश्वास के साथ निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ली जाती है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के पक्षकारों में से किसी पक्षकार को उसके प्रकरण में न्याय प्राप्ति को लेकर बार–बार आशंका एवं सन्देह व्यक्त किया जा रहा हो, तो ऐसे प्रकरण को व्यथित पक्षकार की सन्तुष्टि एवं निष्पक्ष न्याय हेतु अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय को सुनवाई हेतु अंतरित किया जाना उचित है क्योकि न्याय की भी यही मंशा है कि न्याय होना ही नहीं, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के मध्य नजर उक्त प्रकरण मुकदमा संख्या 1/12 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 1/12 बअनवान सरकार बनाम मुस्तफा उर्फ मुसा वगैरह की पत्रावली को उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त मुकदमा संख्या 1/12 की मूल पत्रावली अविलम्ब उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता को भिजवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता को निर्देश दिये जाते है कि उक्त मुकदमा संख्या 1/12 की मूल पत्रावली उन्हे प्राप्त होने पर विधिनुसार आगामी कार्यवाही करें। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर/मेड़ता को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner